

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 347

दुर्ग, दिनांक 28/09/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)

(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)

प्रकरण क्रमांक: 161

दिनांक: 19/06/2026

M/s Sai Kripa Fuels

18/2, ग्राम—चिचोला, तहसील—नवागढ़,

जिला—बेमेतरा (छत्तीसगढ़)

बी.पी. नं. 1008757292

आवेदक

विरुद्ध

- कार्यपालन अभियंता (संचा.धसंधा.) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बेमेतरा।
- सहायक अभियंता (उपसंभाग),
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नवागढ़।

अनावेदकगण

आदश

(आज दिनांक 28/09/2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक मेसर्स साई कृपा फ्यूल्स, ग्राम चिचोला, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, बी.पी. क्रमांक 1008757292 द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात प्राप्त विद्युत बिलों में असामान्य वृद्धि एवं विसंगति होने की शिकायत इस फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का कथन है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने से पूर्व उसके विद्युत बिल सामान्यतः लगभग ₹7,000/- से ₹10,000/- के बीच आते थे, जबकि दिनांक 23.01.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात बिलों में असामान्य वृद्धि हुई है।

आवेदक के परिसर में 30 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र भी दिनांक 16.10.2024 से स्थापित है। आवेदक का संदेह है कि स्मार्ट मीटर द्वारा विद्युत खपत एवं सोलर संयंत्र से संबंधित उत्पादन/Export को सही रूप से दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अधिक बिलिंग हो रही है।

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा विद्युत आपूर्ति में अनियमितता एवं वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायत भी की गई।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्न तथ्य विवादित नहीं हैं :-

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1008757292 गैर-घरेलू प्रयोजन के अंतर्गत पेट्रोल पंप की विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 40 किलोवाट है।

3. आवेदक के परिसर में 30 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित है।

4. सोलर संयंत्र दिनांक 16.10.2024 से स्थापित है।

5. उक्त विद्युत कनेक्शन में दिनांक 23.01.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक के अनुसार स्मार्ट मीटर स्थापित होने से पूर्व उसके विद्युत बिल सामान्यतः ₹7,000/- से ₹10,000/- के मध्य आते थे।

आवेदक के परिसर में 30 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र भी स्थापित है, जो दिनांक 16.10.2024 से कार्यरत है।

दिनांक 23.01.2026 को नया स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात आवेदक को प्राप्त विद्युत बिलों में असामान्य वृद्धि हुई।

आवेदक का कथन है कि संभवतः स्मार्ट मीटर अथवा उससे संबंधित CT/metering arrangement में तकनीकी समस्या के कारण वास्तविक विद्युत खपत तथा सोलर संयंत्र से संबंधित उत्पादन/Export का सही लेखा नहीं हो रहा है।

सुनवाई के दौरान आवेदक ने यह भी बताया कि उसके परिसर में विद्युत आपूर्ति अनियमित है तथा वोल्टेज में काफी उतार-चढ़ाव होता है।

अतः आवेदक द्वारा प्रकरण की तकनीकी जांच कर वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार आवेदक मेसर्स साई कृपा फ्यूल्स के परिसर में दिनांक 23.01.2026 से स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात प्रतिमाह मीटर में दर्ज Import, Export, Solar Generation एवं Maximum Demand (MD) के आधार पर बिल तैयार किए जा रहे हैं।



अनावेदकगण का कथन है कि आवेदक को वास्तविक मीटर रीडिंग एवं वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर ही बिल जारी किए जा रहे हैं तथा वर्तमान बिलिंग में कोई विसंगति नहीं है।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :-

1. क्या स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात आवेदक को जारी विद्युत बिलों में कोई बिलिंग/मीटरिंग विसंगति पाई जाती है?
2. क्या आवेदक के विद्युत कनेक्शन में लागू Multiplying Factor एवं CT ratio में परिवर्तन उचित एवं अभिलेखों से प्रमाणित है?
3. क्या आवेदक को मीटर किराया नियमानुसार बिल किया जा रहा है?
4. क्या आवेदक के परिसर में विद्युत आपूर्ति में अनियमितता अथवा वोल्टेज संबंधी समस्या प्रमाणित होती है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन, जवाब, बिलिंग अभिलेख, मीटर स्थापना रिपोर्ट, सोलर जनरेशन संबंधी अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया गया।

अभिलेखों के परीक्षण से प्राप्त तथ्यों का विवरण निम्न तालिका के अनुसार है :-

Bill month	Imp.(Kwh)	Exp. (Kwh)	MD (Kw)	M.F	Gen(MF) (Kwh)	Billing Unit(Kwh)	Actu. Consup. (Kwh)
Jan-25	2249	1669	8	20	4119(1)	580	4699
Feb-25	1540	717	6.6	20	3155(1)	823	3938
March-25	1043	859	12.8	20	4028(1)	184	4212
May-25	1209	41	10.8	20	313(1)	1168	1481
Jun-25	1668	290	6	20	1243(1)	1378	2621
July-25	1820	338	5.56	20	1927(1)	1482	3409
Aug-25	1154	250	5.9	20	1565(1)	904	2469
Sep-25	467	40	5.32	20	1347(1)	1347	1774
Oct-25	599	200	5.32	20	211(1)	399	610
Nov-25	720	700	5.2	20	1593(1)	20	1613
Dec-25	620	500	5.2	20	1400(1)	120	1520
Jan-26	1000	316	13.88	40	1935(1)	684	2619
Feb-26	3920	1560	17.68	40	3096(1)	2360	5456
March-26	4200	1724	19.08	40	3823(1)	2476	6299
Apr-26	4640	1600	22.96	40	3746(1)	3040	6786
May-26	5768	160	22.56	40	872(1)	5558	6480

6.1 स्मार्ट मीटर के पश्चात विद्युत खपत एवं अधिकतम मांग

आवेदक का स्वीकृत भार 40 किलोवाट है तथा परिसर में 30 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने से पूर्व जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि में आवेदक के कनेक्शन की अधिकतम मांग लगभग 5 किलोवाट से 12 किलोवाट के बीच रही। इसके विपरीत स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात अधिकतम मांग लगभग 14 किलोवाट से 22 किलोवाट के बीच दर्ज हुई।

उपलब्ध अभिलेखों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात आवेदक के परिसर में विद्युत भार अथवा उपयोग किए जा रहे उपकरणों में ऐसी कोई उल्लेखनीय वृद्धि प्रमाणित नहीं हुई है जिससे MD में इस प्रकार की वृद्धि का स्पष्ट कारण स्थापित हो सके।

अतः स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात MD में हुई वृद्धि की तकनीकी जांच किया जाना आवश्यक है।

6.2 Multiplying Factor एवं CT संबंधी विसंगति

मीटर स्थापना संबंधी अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने से पूर्व संबंधित मीटरिंग व्यवस्था में Multiplying Factor 20 दर्शाया गया था।

स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात Multiplying Factor 40 दर्शाया गया है।

इसी प्रकार पूर्व में स्थापित CT की क्षमता 100/5। तथा स्मार्ट मीटर स्थापना के पश्चात CT की क्षमता 200/5। दर्शाई गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस अवधि में आवेदक के स्वीकृत भार 40 किलोवाट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त पुराने CT का Serial Number भी वर्तमान मीटर स्थापना रिपोर्ट में अंकित नहीं पाया गया है।

इस प्रकार पुराने एवं वर्तमान metering arrangement में MF तथा CT ratio में परिवर्तन हुआ है, किंतु उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता कि यह परिवर्तन किस तकनीकी आधार पर किया गया तथा पुराने CT से नए CT में परिवर्तन के समय वास्तविक CT ratio एवं MF का सत्यापन किस प्रकार किया गया।

ऐसी स्थिति में केवल वर्तमान बिलिंग अभिलेखों के आधार पर आवेदक की शिकायत को पूर्णतः अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।

फोरम का मत है कि वर्तमान में स्थापित LT CT का ratio एवं Multiplying Factor पुनः तकनीकी रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

साथ ही पुराने LT CT एवं मीटर की स्थापना के समय तैयार किए गए मूल Meter Installation Report/प्रपत्र का परीक्षण किया जाना आवश्यक है, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि पुराने metering arrangement में MF-20 का प्रयोग उचित था तथा वर्तमान MF-40 लागू किए जाने का तकनीकी आधार क्या है।

अतः अनावेदकगण को निर्देशित किया जाना उचित है कि वर्तमान CT, meter तथा MF की तकनीकी जांच कर आवश्यक परीक्षण रिपोर्ट तैयार करें।

यदि जांच में MF अथवा CT ratio के गलत निर्धारण के कारण किसी अवधि में अधिक बिलिंग पाई जाती है, तो संबंधित अवधि के बिलों की पुनर्गणना कर उपभोक्ता के खाते में आवश्यक समायोजन किया जाए।

6.3 सोलर Generation संबंधी तथ्य

फोरम द्वारा उपलब्ध Solar Generation Meter के अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया।

अभिलेखों के अनुसार जनवरी 2025 से मई 2026 तक सोलर संयंत्र से दर्ज Generation उसकी स्थापित क्षमता के अनुपात में अपेक्षित स्तर पर नहीं पाई गई।

हालांकि केवल Generation कम पाए जाने के आधार पर स्मार्ट मीटर की खराबी अथवा गलत बिलिंग का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि सोलर Generation पर धूप की उपलब्धता, संयंत्र की कार्यशीलता, inverter performance, shutdown, maintenance तथा अन्य तकनीकी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ सकता है।

फिर भी चूंकि उसी अवधि में MF एवं CT ratio में भी परिवर्तन पाया गया है, अतः सोलर Generation Meter तथा Import/Export metering data का भी CT एवं MF परीक्षण के साथ मिलान किया जाना उचित होगा।

6.4 मीटर किराया

फोरम द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिलों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक के बिलों में मीटर किराया अंकित/वसूल नहीं किया गया है।

अतः यह जांच किया जाना आवश्यक है कि आवेदक के कनेक्शन की श्रेणी एवं लागू टैरिफ के अनुसार मीटर किराया देय है अथवा नहीं।

यदि लागू टैरिफ के अनुसार मीटर किराया देय है, तो उसका निर्धारण एवं बिलिंग नियमानुसार की जाए। यदि मीटर किराया देय नहीं है, तो उसके संबंध में अभिलेख में स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए।

6.5 विद्युत आपूर्ति एवं वोल्टेज उतार-चढ़ाव

आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान विद्युत आपूर्ति में अनियमितता तथा वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायत की गई है।

उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण में आसपास के अन्य उपभोक्ताओं के कनेक्शन में वोल्टेज संबंधी ऐसी कोई समान शिकायत/विसंगति प्रमाणित नहीं हुई है।

अतः उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदक की वोल्टेज संबंधी शिकायत को वर्तमान में प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

फिर भी अनावेदकगण को निर्देशित किया जाना उचित है कि आवेदक की शिकायत के दृष्टिगत संबंधित फीडर एवं कनेक्शन पर आवश्यक voltage measurement कर वास्तविक स्थिति का परीक्षण करें।

6.6 11 KV चिचोली बस्ती फीडर की आपूर्ति

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत 11 KV चिचोली बस्ती फीडर की मई 2026 की फीडर व्यवधान रिपोर्ट का फोरम द्वारा अवलोकन किया गया।

रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आता है कि मई 2026 में उक्त फीडर की विद्युत आपूर्ति में पर्याप्त व्यवधान रहे।

अतः यद्यपि आवेदक द्वारा कथित प्रत्येक वोल्टेज उतार-चढ़ाव को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता, तथापि संबंधित फीडर की आपूर्ति में व्यवधान का अभिलेख उपलब्ध है।

अनावेदकगण का दायित्व है कि फीडर की तकनीकी स्थिति में आवश्यक सुधार कर उपभोक्ताओं को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।

7. फोरम का निष्कर्ष

समस्त अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता है :-

1. स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात आवेदक के कनेक्शन में अधिकतम मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि परिसर के स्थापित/उपयोग किए जा रहे भार में समान अनुपात में वृद्धि का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
2. पुराने मीटरिंग arrangement में MF-20 एवं CT 100/5। तथा वर्तमान arrangement में MF-40 एवं CT 200/5। दर्शाया गया है।
3. स्वीकृत भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
4. पुराने CT का Serial Number भी उपलब्ध Meter Installation Report में अंकित नहीं है।

6. Solar Generation के अभिलेखों में भी स्थापित क्षमता की तुलना में Generation अपेक्षाकृत कम पाई गई है, जिसकी तकनीकी जांच आवश्यक है।

7. आवेदक के बिलों में Meter Rent संबंधी स्थिति भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

8. आवेदक द्वारा वोल्टेज उतार-चढ़ाव की शिकायत उपलब्ध अभिलेखों से पूर्णतः प्रमाणित नहीं है; तथापि मई 2026 की 11 KV चिचोली बस्ती फीडर व्यवधान रिपोर्ट से फीडर में आपूर्ति व्यवधान का तथ्य सामने आता है।

9. अतः वर्तमान अवस्था में आवेदक की शिकायत को पूर्णतः निराधार मानना उचित नहीं है तथा MF/CT ratio एवं billing data का तकनीकी सत्यापन कराया जाना आवश्यक है।

8. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है :-

1. आवेदक का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
2. अनावेदकगण वर्तमान में आवेदक के परिसर में स्थापित LT CT की क्षमता/ratio तथा लागू Multiplying Factor-40 की तकनीकी जांच कराएं तथा जांच की प्रमाणित रिपोर्ट तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं।
3. पुराने मीटर एवं LT CT की स्थापना के समय तैयार किए गए मूल Meter Installation Report/प्रपत्र का परीक्षण किया जाए तथा उसमें दर्ज CT ratio, MF एवं अन्य metering particulars को वर्तमान अभिलेखों से मिलान किया जाए।
4. पुराने CT का Serial Number उपलब्ध न होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनावेदकगण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट करें कि पूर्व में CT 100/5। एवं MF-20 किस आधार पर लागू था तथा वर्तमान में CT 200/5। एवं MF-40 लागू करने का तकनीकी आधार क्या है।
5. यदि तकनीकी जांच में CT ratio अथवा Multiplying Factor गलत पाया जाता है और उसके कारण आवेदक से किसी अवधि में अधिक राशि वसूल की गई है, तो संबंधित अवधि के बिलों की नियमानुसार पुनर्गणना कर अतिरिक्त वसूल राशि को आगामी बिलों में समायोजित/वापस किया जाए।
6. आवेदक के Solar Generation Meter की रीडिंग, Import/Export रीडिंग तथा संबंधित CT/MF का भी आपस में मिलान एवं तकनीकी सत्यापन किया जाए और किसी विसंगति के पाए जाने पर नियमानुसार बिलिंग में आवश्यक सुधार किया जाए।
7. आवेदक के बिलों में Meter Rent की स्थिति की जांच की जाए। यदि लागू टैरिफ के अनुसार Meter Rent देय है तो नियमानुसार बिलिंग की जाए तथा यदि देय नहीं है तो उसका कारण अभिलेख में स्पष्ट किया जाए।
8. आवेदक की वोल्टेज संबंधी एवं विद्युत व्यवस्था संबंधित आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट फोरम को उपलब्ध कराये।

8. आवेदक की वोल्टेज संबंधी एवं विद्युत व्यवस्था संबंधित आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट फोरम को उपलब्ध कराये।

9. अनावेदकगण उपरोक्त जांच एवं आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर संशोधित बिलिंग गणना पत्र/तकनीकी जांच रिपोर्ट की आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

10. यदि जांच एवं पुनर्गणना के पश्चात आवेदक के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन अथवा वापसी की कार्रवाई की जाए।

11. यदि आवेदक इस आदेश से रांतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

12. आदेश पारित।

13. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण निराकृत किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।


(ममता कश्यप)

सदस्या

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

निवारण फोरम दुर्ग


(पी.वी. सजीव)

अध्यक्ष

01/02 विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

क्रमांक/दि

M/s S

8/2,

ah-N

पि. न